राज्य सरकार ने पूरा किया अपना संकल्प पात्र परिवारों के खातों में एक-एक हज़ार रूपये देने के लिए राज्य सरकार ने 310 करोड़ रूपये जारी किए

District : dipr
Department :
VIP Person : c m
Press Release
State News
Attached Document :
P.17-25-3-2020.docx (http://103.203.138.54/news/205437/document/P.17-25-3-2020.docx)

DESCRIPTION

राज्य सरकार ने पूरा किया अपना संकल्प
पात्र परिवारों के खातों में एक-एक हज़ार रूपये देने के लिए
राज्य सरकार ने 310 करोड़ रूपये जारी किए

जयपुर, 25 मार्च। प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दौरान रोजी-रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को तात्कालिक सहायता के तौर पर एक-एक हज़ार रूपये देने की मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों के खातों में प्रति परिवार एक-एक हज़ार रूपये जमा करवाने के लिए एकमुश्त 310 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करा दी है। लोगों के हाथ में नकदी पहुंचने से वे अब अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे।

जिन परिवारों को एक बारीय सहायता के तौर पर यह राशि दी जा रही है उनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले ऎसे परिवार शामिल हैं जिनमें किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर्स, अन्य श्रमिक, रिक्शा चालक एवं निराश्रित व असहाय ज़रूरतमंद परिवारों जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे हैं उन्हें यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि किसी असहाय या निराश्रित परिवार का बैंक अकांउट नहीं होगा तो ऎसी स्थिति में उन्हें जिला कलेक्टर द्वारा नकद भुगतान किया जा सकेगा।

राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को अतिरिक्त राशि जारी की है। जयपुर कलेक्टर को एक करोड़ रूपये, अन्य संभागीय मुख्यालयों के कलेक्टरों को 75-75 लाख रूपये जबकि शेष जिलों को 50-50 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

पात्र परिवारों का चयन जन आधार डाटा बेस के आधार पर किया गया है। चयनित परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से एक-एक हज़ार रूपये जमा होंगे और इसकी सूचना उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इस सम्बन्ध में घोषणा 23 मार्च को की थी।

SUPPORTING IMAGES

Copyright © 2016 Information and Public Relations Department. All Right Reserved.

Last Updated On: **18/4/2020**

You are visitor No.:

001688477

Website Policies (/content/dipr/en/websitepolicies.html) | Disclaimer (/content/dipr/en/disclaimer.html) |

Accessibility (/content/dipr/en/accessibility.html) | Sitemap (/content/dipr/en/sitemap.html)

Nodal Officer: **Sh. Arun Kumar Joshi**

Designation : Joint Director(News)

Mobile Number : 9610409010

Email: dpr-comp-rj@nic.in

This website belongs to Information and Public Relations Department

We're on social networks

(https://(https://(https://(https://www.youtube.com/channel/UC2oIZW3EmG59rjejhn

(https://validator.w3.org/) (https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer)